

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज

पत्रांक : 8450 / चयन/2020-21

दिनांक 13.01.2021

विज्ञापित


विज्ञापन वर्ष 2016 की प्रवक्ता अंग्रेजी विषय की लिखित परीक्षा दिनांक 02 फरवरी, 2019 को सम्पन्न हुई थी, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 17 फरवरी से 25 फरवरी 2020 तक आयोजित किया गया था। उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 के नियम-12(8) के अन्तर्गत इस विषय का पैनेल चयन बोर्ड की विज्ञापित संख्या 4737/चयन/2019-20 दिनांक 18.03.2020 द्वारा पूर्व में घोषित किया गया था।

याचिका संख्या 3162/2020 अविनाश सोनकर व 1 अन्य, याचिका संख्या 4489/2020 विजय शंकर व 5 अन्य तथा याचिका संख्या 3492/2020 कु0 रेनू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.03.2020 एवं 10.07.2020 के अनुपालन में याचिकाओं का साक्षात्कार दिनांक 29.11.2020 को कराया गया। तत्पश्चात् इनको सम्मिलित करते हुये मेरिट तथा अन्तिम चयन परिणाम पुनः तैयार करते हुये संशोधित पैनेल, मेरिट सूची तथा कट आफ मेरिट आज दिनांक 13.01.2021 को बोर्ड द्वारा जारी किया गया है।

घोषित पैनेल के कालम 'SELECTION AS' में जिनके सामने अनारक्षित (UR)/आरक्षण श्रेणी (OBC/SC/ST) अंकित नहीं है उनके नाम 'रिक्तियों की संख्या से अधिक' के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं, इस श्रेणी के अभ्यर्थियों का संस्था आवंटन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाना है। घोषित पैनेल के कालम 'SELECTION AS' में जिनके नाम के सामने अनारक्षित (UR)/आरक्षण श्रेणी (OBC/SC/ST) प्रदर्शित है, उनका संस्था आवंटन रिक्तियों की संख्या के अनुरूप उपरोक्त नियमावली, 1998 के नियम-12 (10) के अनुसार बोर्ड द्वारा बाद में किया जायेगा।

नियम 12(10) के अन्तर्गत आवंटित संस्था में यदि कोई चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहेगा, तो उसके स्थान पर पैनेल में उल्लिखित 'रिक्तियों की संख्या से अधिक' के अन्तर्गत अंकित अभ्यर्थियों के नाम में से योग्यता क्रम से संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियमावली 1998 के नियम 13(3) के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

अभ्यर्थियों द्वारा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(9) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार साक्षात्कार के समय विज्ञापित संस्थाओं की अधिमानता आनलाइन भरी गयी थी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदित आरक्षण श्रेणी का ही विद्यालय संस्था आवंटन हेतु तत्समय प्रदर्शित किया गया था। अन्तिम चयन परिणाम में कतिपय आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित हैं परन्तु सामान्य श्रेणी की संस्था की अधिमानता न होने के कारण उनकी अधिमानता अब शून्य है। इसलिए मात्र आरक्षित श्रेणी (OBC, SC, ST)के ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी की संस्था की अधिमानता का आनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 15.01.2021 से दिनांक 22.01.2021 तक का समय प्रदान किया जाता है। अधिमानता आनलाइन भरने का लिंक चयन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.upsessb.org पर उपलब्ध है जिस पर जाकर अभ्यर्थी अपनी अधिमानता भर सकते हैं।


13-01-2021
नवलकिशोर
उपसचिव